

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/संकाय-विषय/परिवर्तन/2019-20

दिनांक : 21/10/2019

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक
जालौर।

विषय: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरणाय (सांचौर), जिला जालौर में ऐच्छिक विषय परिवर्तन किये जाने बाबत।


प्रसंग: राज्य सरकार का पत्रांक: प.4(3)शिक्षा-1/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 16.10.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय अनुमोदन के क्रम में निम्नांकित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित ऐच्छिक विषय में संशोधन की स्वीकृति अग्रांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	U-DISE CODE	वर्तमान में संचालित विषय, जो प्रत्याहरित किया जाना है	परिवर्तित विषय
1	जालौर	सांचौर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरणाय	08180507018	समाजशास्त्र	संस्कृत साहित्य

शर्त:-

1. पूर्व में स्वीकृत विषय में सत्र 2019-20 में कक्षा 11 व 12 में विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो अथवा कक्षा 11 व 12 में सत्र 2019-20 में पूर्व स्वीकृत विषय में विद्यार्थी अध्ययनरत हों, तो उन्हें निकटस्थ विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. विषय परिवर्तन के साथ ही तदनुसूचित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण कर पदस्थापन किया जायेगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
8. सभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा-पाली।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान-जालौर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान-सांचौर (जालौर)।
11. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संबंधित विद्यालय में विषय परिवर्तन संबंधी प्रविष्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर करते हुये अद्यतन करें।
12. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन: सी-1,2,3,4/बजट/कम्प्यूटर/योजना अनुभाग, कार्यालय हाजा।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर